भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 6266

उत्तर देने की तारीख : 02.04.2026

लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए वैधानिक पुनरुद्धार ढांचे का कार्यान्वयन

6266. एडवोकेट के. फ्रांसिस जॉर्ज :

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) द्वारा सामना की जा रही ऋण संबंधी बाधाओं, विलंबित भुगतान और वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी) के अंधाधुंध उपयोग के माध्यम से बैंकों द्वारा उत्पीड़न की शिकायतों सहित समस्याओं से अवगत है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले पांच वर्षों के दौरान प्राप्त ऐसी शिकायतों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या बैंक और वित्तीय संस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमईडी) और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की दिनांक 29.05.2015 की अधिसूचना के अंतर्गत यथा अधिदेशित प्रारंभिक तनाव को चिह्नित करने, एसएमए-0, एसएमए-1 और एसएमए-2 खातों को वर्गीकृत करने और सुधारात्मक कार्य योजनाएं तैयार करने के लिए समितियों का गठन कर रहे हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या एमएसएमई खातों को पहले वैधानिक पुनरुद्धार उपायों को लागू किए बिना ही गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया जा रहा है और वसूली की कार्यवाही शुरू की जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए नियामक या पर्यवेक्षी कार्रवाई करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) : भारत सरकार ने, अन्य के साथ-साथ, देश भर में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए बैंकों द्वारा क्रेडिट बाधाओं, विलंबित भुगतान और उत्पीड़न की शिकायतों सहित सामना की जा रही समस्याओं का समाधान करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं:

I. सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएस) को सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है ताकि एमएमई को बिना संपार्श्विक सुरक्षा और तृतीय पक्ष गारंटी के दिए गए ऋणों के लिए 10 करोड़ रुपए तक की गारंटी कवरेज के लिए क्रेडिट प्रदान की जा सके।

II. आत्म-निर्भर भारत (एसआरआई) कोष की स्थापना एमएसएमई में इक्विटी फंडिंग के रूप में 50,000 करोड़ रुपए का निवेश करने के लिए की गई है, जिसमें सरकार द्वारा 10,000 करोड़ रुपए और निजी इक्विटी/वेंचर कौपिटल फंड के माध्यम से 40,000 करोड़ रुपए के निवेश का प्रावधान है। बजट 2026-27 में सूक्ष्म उद्यमों को समर्थन देने के लिए वर्ष 2021 में स्थापित एसआरआई कोष को बढ़ाने के लिए 2,000 करोड़ रुपए की सहायता की भी घोषणा की गई है।

III. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम विनिर्माण क्षेत्र के लिए 50 लाख रुपए और सेवा उद्यमों के लिए 20 लाख रुपए की परियोजना लागत के साथ, नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए 35% तक की मार्जिन मनी सब्सिडी प्रदान करता है।

IV. पीएम विश्वकर्मा स्कीम दिनांक 17.09.2023 को 18 विशिष्ट व्यवसायों के कारीगरों और शिल्पकारों को समग्र सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। इस स्कीम में 8% तक की ब्याज छूट के साथ 3 लाख रुपए तक के कोलेटरल मुक्त ऋण का प्रावधान शामिल है।

V. भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 24 जुलाई, 2017 के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को ऋण संबंधी मास्टर निर्देश के पैरा 4.1 के अनुसार, सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को एमएसई क्षेत्र की इकाइयों को दिए गए 10 लाख रुपए तक के ऋणों के मामले में संपार्श्विक सुरक्षा स्वीकार न करने का आदेश दिया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 9 फरवरी, 2026 के परिपत्र के अनुसार, यह सीमा 1 अप्रैल, 2026 से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई है।

VI. सरकार संबंधित राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों के एमएसएमई/औद्योगिक विभागों और सीजीटीएमएसई, सिडबी, बैंकों, एमएसएमई संघों आदि जैसे अन्य हितधारकों के समन्वय से एमएसएमई के बीच ऋण उपलब्धता बढ़ाने के लिए नियमित रूप से आउटरीच कार्यक्रम आयोजित करती है।

VII. एमएसएमई की नकद उपलब्धता संबंधी समस्याओं का निपटारा एमएसएमई समाधान पोर्टल के माध्यम से किया जाता है और मामलों का निपटान सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषदों (एमएसईएफसी) द्वारा किया जाता है। सरकार ने विलंबित भुगतान मामलों के समय पर, किफायती और पारदर्शी समाधान को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से समाधान पोर्टल को सुदृढ़ बनाने हेतु डिजिटल, प्रौद्योगिकी आधारित तंत्र के रूप में दिनांक 27.06.2025 को ऑनलाइन विवाद समाधान (ओडीआर) पोर्टल भी प्रारंभ किया है।

VIII. कार्यशील पूंजी संबंधी मुद्दों के समाधान हेतु सरकार ने दिनांक 07.11.2024 की अधिसूचना सां.आ.4845(अ) के माध्यम से 250 करोड़ रुपए या उससे अधिक के कारोबार वाले सीपीएसई और सभी कंपनियों को व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली (ट्रेड्स) जो एक इलेक्ट्रॉनिक फ्लेटफॉर्म है, जोकि कई वित्तदाताओं के माध्यम से एमएसएमई के व्यापार प्राप्यों की छूट की सुविधा प्रदान करता है, को अपनाने का निर्देश दिया है।

IX. ट्रेड्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से एमएसएमई की कार्यशील पूंजी की क्षमता को बढ़ाने के लिए, बजट घोषणा 2026-27 में निम्नलिखित चार प्रमुख उपायों की घोषणा की गई है:

i. सीपीएसई द्वारा एमएसएमई से खरीद के लिए निपटान मंच के रूप में ट्रेडस को अधिदेशित किया गया है, जो अन्य कॉर्पोरेट्स के लिए बेंचमार्क स्थापित करेगा।

ii. ट्रेडस प्लेटफॉर्म पर इनवॉइस डिस्काउंटिंग के लिए सीजीटीएमएसई-समर्थित क्रेडिट गारंटी सहायता शुरू करना।

iii. सरकारी एमएसएमई खरीद पर वित्तपोषकों के साथ सूचना साझा करने में सक्षम बनाने के लिए ट्रेड के साथ जेम को एकीकृत करना, जिससे तीव्र और सस्ते ऋण की सुविधा मिलेगी।

iv. द्वितीयक बाजार का विस्तार करने, नकद उपलब्धता में सुधार करने और निपटान में तेजी लाने के लिए प्राप्य को परिसंपत्ति समर्थित प्रतिभूतियों के रूप में प्रस्तुत करना।

(ख) और (ग) : जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा सूचित किया गया है, एमएसएमई के पुनरुद्धार और पुनर्वास (एफआरआर) के लिए फ्रेमवर्क संबंधी परिपत्र को संशोधित किया गया था, जिसमें बैंकों को खाते में प्रारंभिक तनाव की पहचान करने और उन्हें विशेष उल्लेख खाते (एसएमए) के तहत वर्गीकृत करने की सलाह दी गई थी:

विशेष उल्लेख खाता उप श्रेणियां (सीएपी)	वर्गीकरण के लिए आधार
एसएमए-0	मूलधन या ब्याज भुगतान 30 दिनों से अधिक समय तक अतिदेय नहीं है, लेकिन खाते में शुरुआती तनाव के संकेत दिखाई दे रहे हैं
एसएमए-1	31-60 दिनों के बीच बकाया मूलधन या ब्याज भुगतान
एसएमए-2	61-90 दिनों के बीच बकाया मूलधन या ब्याज भुगतान

खातों का रखरखाव रखने वाली शाखा 10 लाख रुपए से अधिक की कुल ऋण सीमा वाले दबावग्रस्त खातों को उचित सुधारात्मक कार्य स्कीम (सीएपी) के लिए एक समिति को भेजती है। सीएपी के तहत प्रस्तावों में सुधार, पुनर्गठन और वसूली शामिल हो सकती है। कोई भी एमएसएमई ऋणकर्ता इस ढांचे के तहत कार्यवाही शुरू कर सकता है, यदि उसे उद्यम की विफलता की युक्तिसंगत आशंका है। केवल एफआरआर को एसएमए-2 के रूप में वर्गीकृत एमएसएमई खाते के दृष्टिकोण से अनिवार्य रूप से समिति को संदर्भित करने की आवश्यकता है। यह न तो सुधारात्मक कार्य स्कीम के रूप में पुनर्गठन को अनिवार्य करता है और न ही विनियमित संस्थाओं (आरई) को वसूली के रिकॉर्ड के आधार पर खाते को एनपीए के रूप में वर्गीकृत करने से रोकता है।

(घ) : जैसा कि आरबीआई द्वारा सूचित किया गया है, बैंकों द्वारा उपर्युक्त परिपत्र के कार्यान्वयन में प्रगति की निगरानी करने के लिए, सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को परिपत्र में परिकल्पित विभिन्न मानदंडों पर अर्धवार्षिक विवरण (सितंबर और मार्च) प्रस्तुत करने की सलाह दी गई है। ऐसे विवरण बैंकों से नियमित आधार पर एकत्र किए जाते हैं।
